दिनांक 28.08.2020

प्रेस नोट

थाना हसनपुर क्षेत्र के मृतका इरम उर्फ अमरीन की हत्या के मामले में 05 अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल, कारतूस व मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2020 वादिया उजमा पुत्री नईम हाशमी निवासी मोहल्ला दानिशमंदन थाना कोतवाली नगर द्वारा थाना हसनपुर पर सूचना दी गयी कि मेरी बड़ी बहन इरम उर्फ अमरीन अपने मुकदमे की तारीख करने के लिए हसनपुर कचहरी में आयी थी जिसकी लाश मछरई रोड पर मिली है जिसके संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व वादिया की तहरीर के आधार पर मृतका के ससुरालजनों के विरुद्ध थाना हसनपुर पर मु0अ0स0451/2020 धारा 302 भादवि बनाम 1. फाजिल पुत्र आरिफ सूफी(पति) 2. आरिफ सुफी पुत्र नामालूम(ससूर) 3. आकिल सूफी पुत्र नामालूम(चचिया ससुर) व 4. शाजेब पुत्र आकिल सूफी पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ0 विपिन ताडा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर थाना हसनपुर पुलिस को शीघ्र अनावरण हेतु निर्दशित किया गया था।

विवेचना के क्रम मे साक्ष्य के आधार पर आज दिनांक 28.08.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय प्रताप सिहं एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेषण में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. आरिफ सुफी 2. शाजेब 3. आकिल सूफी 4. मोहसिन व 5. फारुख को गिरफ्तार किया गया व गहनता से पूछताछ की गयी।

पूछताछ का विवरण व हत्या का कारण:-

पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये कि मृतका इरम का अपने पति फाजिल से दो वर्ष पूर्व मन मूटाव व झगडा हो गया था जिसके बाद मृतका अपने मायके अमरोहा नगर मे आकर रहने लगी। मृतका इरम व ससुराल पक्ष के बीच हसनपुर में मुकदमे बाजी चल रही है। मृतका के चचिया ससूर आकिल सूफी भी अमरोहा नगर मे रहता है लगभग 01 वर्ष पूर्व मृतका द्वारा अपने चचिया ससूर आकिल सूफी पर एक वीडियो वायरल कर कुछ आरोप लगाये गये थे किन्तु उसके बाद दोनो पक्षो मे समझौता हो गया था। मृतका इरम के चचिया ससूर आकिल सूफी के दामाद फुरकान के साथ भी अवैध सम्बन्ध हो गये थे। जिसे लेकर दोनो परिवारों मे तनाव बना था। घटना वाले दिन इसी बात को लेकर इरम द्वारा फुरकान की पत्नी शायरा से कहासुनी हुयी जिसके बाद इरम की हत्या हुयी। मृतका के ससुर आरिफ सूफी,पति फाजिल, चचिया ससुर आकिल सुफी, उसके लडके शाजेब व दामाद फुरकान ने षंडयन्त्र के तहत दिनांक 26.08.2020 को अपने 02 दोस्त के साथ मिलकर मोहसिन व फारुख से इरम की हत्या करा दी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. आरिफ पुत्र आबिद हुसैन (मृतका का ससुर) निवासी मौ0 काला शहीद कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
2. आकिल हुसैन पुत्र आबिद हुसैन (मृतका का चचिया ससुर) मौ0 काला शहीद कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
3. शाजेब पुत्र आकिल सूफी (मृतका का चचेरा देवर) मौ0 काला शहीद कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
4. मोहसिन पुत्र गुड्डन खां निवासी मौ0 काला शहीद पूठ रोड कस्बा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
5. फारुख पुत्र मतलूब अली निवासी मौ0 काला शहीद पूठ रोड कस्बा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अवैध पिस्टल मय 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर।
2. घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल यामाहा FZS रजि0 न0 UP23 AB 3510।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज मलिक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
2. वरि0 उ0नि0 संजय कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
3. उ0नि0 मुज्म्मिल खां थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
4. उ0नि0 संजीव मलिक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
5. का0 604 अजीत थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
6. का0 579 अंकुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
7. का0 राम कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
8. का0 अनुज थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
9. का0 1009 नितिन कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।